ख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0 02/2018–19

आवेदिका– शांति तुरीन

बनाम

विपक्षी– मोसा शेख

आदेश

29.8.18 आवेदिका शांति तुरीन, सा+पो0–दिलालपुर, थाना–कोटालपोखर के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनको सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा किये गये अवैध दखल से आवेदिका विपक्षी को उच्छेद कराना चाहती है। आवेदिका के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा को भेजा गया।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा
सिउलीडांगा	62	42	01 बीघा

सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु इस वाद की सुनवाई शिविर न्यायालय, पतना में किया गया।

उभय पक्षों को सुना। आवेदिका का कहना है कि मौजा सिउलीडांगा, जमाबंदी नं0 62, दाग नं0 42, रकवा 01 बीघा जमीन मेरे पिताजी स्व0 गोविन्द तुरी को अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के बन्दोबस्ती से प्राप्त हुआ है, जो मेरे पिता के नाम से पंजी ॥ में दर्ज है। उक्त भूमि को विपक्षी मौसा शेख के द्वारा अवैध दखल कब्जा कर लिया है। अतएव आवेदिका ने मौजा सिउलीडांगा के जमाबंदी नं0 62 दाग नं0 42 रकवा 01 बीघा जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका द्वारा दायर आर0ई0 केस दृष्टिकोण तथ्य एवं विधि के दृष्टिकोण से चलने लायक नहीं है। क्योंकि आवेदिका ने अपने आवेदन पर विवादित भूमि के मौजा, जमाबंदी नं0, दाग नं0 एवं चौहद्दी का उल्लेख नहीं किया है। जिससे साफ पता चलता है कि आवेदिका को जमीन से संबंधित पूरी मालुमात नहीं है। मौजा सिउलीडांगा जमाबंदी नं0 62 दाग नं0 42 की जमीन गत सर्वे खतियान में विमल तुरी के पिता इन्द्रदेव तुरी के नाम से दर्ज है। वर्णित जमीन विमल तुरी ने पारिवारिक बंटवारा से प्राप्त किया है, जिसका वह हकदार है। विमल तुरी पे0 स्व0 इन्द्रदेव तुरी सा0 बलियाडांगा थाना पाकुड, जिला पाकुड से विपक्षी ने पारिवारिक धनिष्ठ संबंध होने की वजह से दान स्वरूप प्राप्त कर उक्त भूमि पर बसोबास करते आ रहे है। जिस संबंध में विमल तुरी द्वारा विपक्षी के हित में शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक 31.05.2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर निष्पादित किया है। उक्त भूमि से संबंधित विमल तुरी के पास पट्टा भी है। आवेदिका शांति तुरीन के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा 144 एवं क्रि0मि0 वाद सं0 283/18 का मुकदमा भी दायर किया था। जिसमें आवेदिका ने न्यायालय में उपस्थित होकर केस मिथ्या होने के कारण वापस ले लिया गया है। आवेदिका विपक्षी को परेशान करने की

29/8/18

Scanned with CamScanner

नीयत से यह वाद लाया है। अतएव श्रीमान् से प्रार्थना है कि कारण पृच्छा स्वीकार करते हुए उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा की जाय।

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्रांक 853/रा0, दिनांक 10.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा सिउलीडांगा जमाबंदी नं0 62 दाग नं0 42 रकवा 01 बीघा जमीन पंजी ॥ में गोविन्द तुरी के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत गोविन्द तुरी आवेदिका शांति तुरी के पिता है तथा आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज एवं वंशानुगत उत्तराधिकारी हैं। उक्त जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के द्वारा आवेदिका के पिता को प्राप्त हुआ है। स्थानीय जाँच में पाया गया कि वर्णित जमीन पर वर्तमान में विपक्षी मोसा से पिता तोफु शेख सा0 रनडांगा जिला पाकुड के द्वारा दखल किया गया है और उसी जमीन के कुछ हिस्से पर घर बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। अतएव अग्रेतर कार्रवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है।

आवेदिका ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
2. मौजा सिउलीडांगा खेसरा सं0 42 रकवा 01 बीघा से संबंधित वर्ष 2016–17 का लगान रसीद की छाया प्रति, जिसमें नाम देहिन्दा शांति तुरीन अंकित है।

विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अंचल अधिकारी, बरहरवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वर्णित जमीन आवेदक शांति तुरीन के पिता गोविन्द तुरी ने अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के बन्दोबस्ती वाद सं0 81/1955–56 दिनांक 09.10.1955 के द्वारा प्राप्त किये हैं एवं पंजी ॥ में गोविन्द तुरी के नाम से दर्ज है। विपक्षी के द्वारा वर्णित जमीन दान–पत्र के रूप में प्राप्त करने का दावा करते है, जो अवैध है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत विचारोपरांत पाया जाता है कि आवेदिका को प्रश्नगत भूमि विधिवत बंदोबस्त कि गई है । अतः विपक्षी को मौजा सिउलीडांगा के जमाबन्दी नम्बर – 62 , दाग न॰–42 रक़वा 01 बीघा भूमि से उच्छेद किया जाता है ।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी, कोटालपोखर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/8/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

29/8/18

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner